भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 785
मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों के उपयोग के लिए उपाय</u>

785. श्री एस. कल्याण सुन्दरम:
श्री आर. गिरिराजन:
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्धिशील आर्थिक विकास के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा हो सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ): कॉप-26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में अब तक नॉन-फॉसिल ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कुल 172.72 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। इसमें 165.94 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 6.78 गीगावाट न्यूक्लियर विद्युत क्षमता शामिल है। दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, इसमें देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता का 42.26 प्रतिशत हिस्सा, अर्थात 408.71 गीगावाट शामिल है।

देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,

- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यापक स्तर पर स्थापना करने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना करना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामला) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- अक्षय ऊर्जा विद्युत की एक्सचेंज के माध्यम से बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई।

*****